



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102025-266628
CG-DL-E-03102025-266628

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4398]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 3, 2025/आश्विन 11, 1947

No. 4398]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 3, 2025/ASVINA 11, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4524(अ).— वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के का.आ. 4255 (अ) दिनांक 29.09.2023, का.आ. 1563 (अ) दिनांक 02.04.2025 और का.आ. 2920 (अ) दिनांक 01.07.2025 के क्रम में, इस बात पर पुनः बल दिया जाता है कि 1 जुलाई, 2025 से देशभर में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर (क्लास 6 डिवीजन 3 अथवा यूएन क्लास 1 डिवीजन 1 के विस्फोटक) के विनिर्माण, कब्जे, बिक्री और आयात पर प्रतिबंध है।

बशर्ते कि कोयला खदानों में प्रयोग के लिए अनुमत डिले डेटोनेटरों तथा तेल भंडार की खोज और उत्पादन के लिए तेल एवं गैस प्रचालक कंपनियों द्वारा तेल के कुओं के लॉगिंग प्रचालनों और भूकंपीय सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त डेटोनेटरों पर यह प्रतिबंध 31 दिसम्बर, 2025 तक लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि भारतीय सेना को आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट डेटोनेटिंग फ्यूज के उत्पादन हेतु कम प्रतिरोध वाले ईडी के विनिर्माण की, जब तक उनको आवश्यकता हो या इस विभाग के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अनुमति दी जाती है।

[फा.सं. पी-13015/45/2021-विस्फोटक-पार्ट(1)]

निधि केसरवानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department For Promotion Of Industry And Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2025

S.O. 4524(E).— In continuation of Ministry of Commerce & Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade's S.O. Numbers 4255 (E) dated 29.09.2023, 1563 (E) dated 02.04.2025 and 2920 (E) dated 01.07.2025, it is reiterated that the manufacture, possession, sale and import of the electric detonator (explosive of Class 6 Division 3 or UN Class 1 Division 1) is prohibited throughout the country with effect from the 1st day of July, 2025.

Provided that such prohibition shall not be applicable for Permitted Delay Detonators for usage in coal mines and suitable Detonators for Oil well logging operations and seismic survey by oil and gas operator companies for oil exploration and production, till 31st Day of December, 2025.

Provided further that manufacture of low resistance ED is permitted for production of Electronic Point Detonating Fuse for supply to the Indian Army till their requirement or further order of this Department, whichever is earlier.

[F. No. P-13015/45/2021-EXPLOSIVE-Part(1)]

NIDHI KESARWANI, Jt. Secy.